समक्ष न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

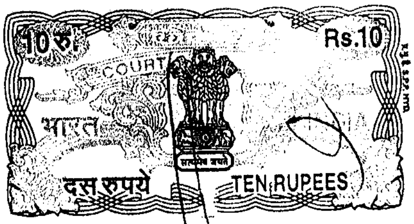

Resto 2151-PBR/14

नितिन कुमार आत्मज दामोदर प्रसाद चौधरी उम्र करीब 24 साल
निवासी ग्राम सनखेडा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमति राजो बाई उर्फ रजिया बाई उम्र 60 साल विधवा मिश्रीसिंह (मृत) वारसान
1.श्रीमति सुखिया बाई पत्नि विशाल सिंह
निवासी बरेली जिला रायसेन
2.श्रीमति छुट्टनबाई पत्नि लल्लूसिंह
साकिन पचमढी रोड पिपरिया जिला होशंगाबाद
3.राजेश उर्फ विजेन्द्र सिंह आत्मज मिश्रीसिंह
साकिन शा0 बालक उच्चतर मा0 विघालय के सामने इटारसी जिला होशंगाबाद
....उत्तरवादीगण
4.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद

आवेदन पत्र धारा 35 (3) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदक नीचे लिखे अनुसार कथन करता है :-

1 यह कि आवेदक ने श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की थी जो दिनांक 15.05.2014 को प्रारंभिक तर्क हेतु नियत था ।

17-7-14

2 यह कि आवेदक की ओर से प्रकरण में श्री मेघदीप गौर अधिवक्ता एवं श्री सुशील गोयल अधिवक्ता होशंगाबाद उपस्थित होकर पैरवी कर रहे हैं । श्री मेघदीप गौर अधिवक्ता दिनांक 14.05.2014 की रात्रि में अचानक अस्वस्थ हो गये इस कारण वह माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो सके और श्री सुशील गोयल अधिवक्ता भी पूर्व में अस्वस्थ हो जाने के कारण कमजोरी महसूस होने से माननीय

22.9.2015	आवेदक की ओर से श्री संदीप दुबे अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	[illegible]